

श्री नरेन्द्र मोदी
मा. प्रधानमंत्री

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



श्री भजनलाल शर्मा
मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान

किसान रजिस्ट्री शिविर



- राज्य में 5 फ़रवरी से 31 मार्च, 2025 तक शिविरों का होगा आयोजन
- प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तीन दिवसीय शिविर प्रात: 9:30 से सायं 5:30 तक लगेंगे
- शिविर की निर्धारित दिनांक एवं स्थान की जानकारी के लिए सम्बंधित तहसील / ग्राम पंचायत से सम्पर्क करे या **RJFRC.RAJASTHAN.GOV.IN** पर विजिट करें

- किसान रजिस्ट्री का उपयोग कृषि के साथ-साथ अन्य योजनाओं का लाभ लेने हेतु किया जा सकेगा
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद के विपणन में आसानी होगी
- किसानों को फसली ऋण एवं फसल बीमा की क्षतिपूर्ति तथा आपदा राहत राशि प्राप्त करने में सुगमता होगी
- पीएम / सीएम किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए किसान रजिस्ट्री अनिवार्य होगी
- राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे ही पात्र किसानों को मिल सकेगा
- किसान रजिस्ट्री में भू-अभिलेख का स्वत: अपडेट हो सकेगा

रजिस्ट्री शिविर में किसान अपना आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल फोन एवं नवीनतम जमाबंदी नकल अवश्य साथ लाएं

किसान रजिस्ट्री शिविर



→ किसान की पहचान
• भूमि सत्यापन
→ किसान पहचान पत्र



कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार



श्री नरेन्द्र मोदी
मा. प्रधानमंत्री

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



श्री भजनलाल शर्मा
मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान

किसान रजिस्ट्री शिविर

- राज्य में 5 फ़रवरी से 31 मार्च, 2025 तक शिविरों का होगा आयोजन
- प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तीन दिवसीय शिविर प्रात: 9:30 से सायं 5:30 तक लगेंगे
- शिविर की निर्धारित दिनांक एवं स्थान की जानकारी के लिए सम्बंधित तहसील/ग्राम पंचायत से सम्पर्क करे या **RJFRC.RAJASTHAN.GOV.IN** पर विजिट करें

किसान रजिस्ट्री के लाभ

- पीएम / सीएम किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए किसान रजिस्ट्री अनिवार्य होगी
- वंचित पात्र किसानों को पीएम / सीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ा जा सकेगा
- किसान को घर बैठे ऑनलाइन आवेदन द्वारा फसली ऋण शीघ्र प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी
- फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने में तथा आपदा राहत हेतु कृषकों के चिह्नितकरण में आसानी होगी
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीद में कृषकों का स्वतः पंजीकरण हो सकेगा
- किसान रजिस्ट्री के डेटा के आधार पर योजनाओं के लाभ वितरण में सुगमता होगी और लाभार्थी का बार-बार सत्यापन आवश्यक नहीं होगा
- किसान किसी भी समय पर कृषि सम्बन्धी सलाह ले सकेगा
- किसान रजिस्ट्री में भू-अभिलेख का स्वत: अपडेट हो सकेगा

रजिस्ट्री शिविर में किसान अपना आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल फोन एवं नवीनतम जमाबंदी नकल अवश्य साथ लाएं

कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार



श्री नरेन्द्र मोदी
मा. प्रधानमंत्री

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



श्री भजनलाल शर्मा
मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान

किसान रजिस्ट्री शिविर

किसान अपना रजिस्ट्री कार्ड बनवायें, योजनाओं का त्वरित लाभ पाएं

रजिस्ट्री शिविर में किसान अपना आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल फोन एवं नवीनतम जमाबंदी नकल अवश्य साथ लाएं



- राज्य में 5 फ़रवरी से 31 मार्च, 2025 तक शिविर आयोजित होंगे
- प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तीन दिवसीय शिविर प्रात: 9:30 से सायं 5:30 तक लगेंगे
- शिविर की निर्धारित दिनांक एवं स्थान की जानकारी के लिए सम्बंधित तहसील / ग्राम पंचायत से सम्पर्क करे या **RJFRC.RAJASTHAN.GOV.IN** पर विजिट करें
- किसान रजिस्ट्री में भू-अभिलेख का स्वत: अपडेट हो सकेगा



कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार